	विशेषांक	Regd. No. RJ. 2777/93 RAJASTHAN GAZZETTE *Extraordinary*
सत्यमेव जयते	साधिकारी प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 17, शुक्रवार, शाके 1921—मई 7, 1999 ***Vaisakha 17, Friday, Saka 1921-May 7, 1999***	

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप—2)
अधिसूचना
जयपुर, मई 7, 1999

संख्या प.2(3)विधि/2/99.— राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मई, 1999 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टॉफ का सुव्यस्थीकरण) अधिनियम, 1999

(1999 का अधिनियम संख्या—6)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 मई, 1999 को प्राप्त हुई)

राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, लोक निगमों और विश्वविद्यालयों आदि के नियंत्रणाधीन कार्यालयों और स्थापनों में नियुक्तियों को विनियमित करने और अनियमित नियुक्तियों को प्रतिपिद्ध करने और उनसे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यस्थीकरण) अधिनियम, 1999 है ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. **परिभाषाएँ.**—इस अधिनियम में, जब तक की विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो,—

(i) "सक्षम प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है और भिन्न–भिन्न जिलों, भिन्न–भिन्न विभागों या भिन्न–भिन्न संस्थाओं के संबंध में भिन्न–भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न–भिन्न प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे;

(ii) "दैनिक–मजदूरी–कर्मचारी" से ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी लोक सेवा में दैनिक मजदूरी के संदाय के आधार पर नियोजित है और इसमें या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक या मात्रानुपाती दर पर नामीय मस्टररोल या समेकित वेतन के आधार पर या कार्य–प्रभारित कर्मचारी के रूप में नियोजित कोई व्यक्ति सम्मिलित है और इसमें उन कर्मचारियों को छोड़कर, जो सुसंगत नियमों के अनुसार स्वीकृत पद पर नियमित आधार पर चयनित और नियुक्त है, किसी भी पद से अभिहित कर्मचारियों का कोई ऐसा ही अन्य प्रवर्ग भी सम्मिलित है;

(iii) "सरकारी कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम स. 1) के अधीन निगमित ऐसी कोई भी कम्पनी अभिप्रेत है जिसमें इक्यावन प्रतिशत से अन्यून समादत्त शेयर पूँजी राज्य सरकार द्वारा धारित है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी कम्पनी है जो ऐसी किसी सरकारी कम्पनी की सहायक है;

(iv) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्रेत है,—

(क) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13 के अधीन स्थापित कोई पंचायती राज संस्था);

(ख) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) के अधीन गठित कोई नगरपालिका; और

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी भी राजस्थान विधि के अधीन स्थापित या स्थानीय निकायों के रूप में घोषित कोई भी अन्य स्थानीय निकाय, निगम या विश्वविद्यालय आदि;

(v) "लोक सेवा" से निम्नलिखित के किसी भी कार्यालय या स्थापन में की सेवाएं अभिप्रेत हैं,—

(क) राज्य सरकार;

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकरण;

(ग) राज्य सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित सरकारी कम्पनी या उपक्रम;

(घ) राज्य के विधान–मण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय सहित, कोई निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं; और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी अन्य निकाय या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अपने अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार से या तो पूर्णतः या भागतः निधियाँ प्राप्त कर रही कोई सोसाइटी, या कोई भी शैक्षिक संस्था, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं किन्तु जो राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कर रही हो।

स्पष्टीकरण:– इस खण्ड के प्रयोजनार्थ प्राकृतिक आपदाओं से सबन्धित राहत कार्यों पर, मस्टररोल पर, काम पर लगाये गये व्यक्ति 'लोक सेवा' में नहीं माने जाएंगे ।

3. **लागू होना**,– इस अधिनियम के उपबंध समस्त लोक सेवाओं पर लागू होंगे।

4. **दैनिक–मजदूरी–नियुक्तियों का प्रतिषेध और अस्थाई नियुक्तियों का विनियमन**.–

(1) किसी भी लोक सेवा में, किसी भी वर्ग, प्रवर्ग या ग्रेड में के किसी भी पद पर दैनिक–मजदूरी–कर्मचारी के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति प्रतिषिद्ध होगी ।

(2) किसी भी लोक सेवा में किसी भी वर्ग, प्रवर्ग या ग्रेड में के किसी भी पद पर कोई आवश्यक अस्थाई नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं की जायेगी और ऐसी नियुक्तियाँ ऐसी शर्तों से संगत भी होंगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जायें ।

5. पदों के सृजन का प्रतिषेध.–

(1) किसी भी कार्यालय या स्थापन में किसी लोक सेवा से संबंधित कोई पद, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, सृजित नहीं किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) का अतिक्रमण करके सृजित किये गये किसी भी पद पर की गई कोई भी नियुक्ति अविधिमान्य होगी और ऐसी नियुक्तियों पर धारा 8, 9 और 15 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

6. **वेतन, भत्तों, परिलब्धियों, मानदेय, प्रतिकरात्मक भत्तों आदि के पुनरीक्षण का प्रतिषेध**,– इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन उल्लिखित स्थापनों या कार्यालयों के किसी भी कर्मचारी या निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष या किसी भी पदधारी आदि के वेतन भत्तों, परिलब्धियों, मानदेय, प्रतिकरात्मक भत्तों आदि का पुनरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

7. **भर्ती का विनियमन**.– किसी भी लोक सेवा में किसी भी वर्ग, प्रवर्ग या ग्रेड में के किसी भी पद पर धारा 4 की उप–धारा (2) में यथानिर्दिष्ट को छोड़कर कोई भी भर्ती या नियुक्ति निम्नलिखित के सिवाय नहीं की जायेगीः–

(क) जहाँ पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र के भीतर आता है वहाँ उसके द्वारा नियुक्ति के लिए चयनित और सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के पेनल में से; या

(ख) सुसंगत नियमों या इस निमित्त जारी किये गये आदेशों के अनुसार तत्प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति द्वारा तैयार किये गये पेनल में से; या

(ग) जहाँ खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अनुसरण से अन्यथा भर्ती या नियुक्ति अनुज्ञेय है, वहाँ सुसंगत नियमों और/या आदेशों के अनुसार और अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले अभ्यर्थियों में से।

स्पष्टीकरण.–शंकाओं के निराकरण के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस धारा में की गई कोई बात, लोक सेवा में नियोजित किसी भी व्यक्ति, जिसकी दैनिक कार्यों में संलग्न रहने के दौरान मृत्यु हो जाये, के पुत्र/पुत्री/पति या पत्नी के पक्ष में, समय–समय पर जारी किये गये सुसंगत नियमों और/या आदेशों के अनुसार की गयी अनुकंपा नियुक्तियों पर लागू नहीं होगी ।

8. **बिलों का पारित नहीं किया जाना**.–कोषाधिकारी/उप–कोषाधिकारी या लेखाधिकारी या अन्य कोई अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे वेतन बिल पारित करने के दायित्व से भारित किया गया हो, लोक सेवा में नियुक्त किसी भी व्यक्ति का ऐसा प्रथम बिल तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण–पत्र कि नियुक्ति, धारा 7 या धारा 4 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार की गयी है, संबंधित नियुक्त व्यक्ति के वेतन बिल के साथ संलग्न न कर दिया गया हो।

9. **सेवाओं के नियमितिकरण का वर्जन**.–किसी भी व्यक्ति को, जो दैनिक मजदूरी–कर्मचारी है और किसी भी व्यक्ति को, जो आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया है और इस अधिनियम के प्रारंभ पर उस हैसियत से बना रहता है, किसी भी आधार पर, जो किसी प्रकार का भी हो, सेवाओं के नियमितिकरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा या उसके बारे में यह नहीं समझाा जायेगा कि उसे ऐसा करने का अधिकार कभी भी था और ऐसे व्यक्ति की सेवाएं सम्यक् नोटिस के साथ किसी भी समय समाप्त किये जाने के दायित्वाधीन होंगी:

परन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) की धारा 25–च की परिधि में आने वाले कर्मकारों के मामले में, छंटनी द्वारा सेवाओं की समाप्ति की दशा में, ऐसा छंटनी प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जो उक्त अधिनियम के अधीन संदेय हो:

परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 14) के अध्याय 5–ख द्वारा शासित कर्मकारों पर लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण.–शंकाओं के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के अधीन सेवाओं की समाप्ति को सेवा से पदच्युति या हटाया जाना नहीं समझाा जायेगा अपितु यह किसी भी दण्ड की कोटि में नहीं आने वाली छंटनी या सेवा समाप्ति मात्र होगी ।

10. **निदेश देने की शक्ति**.– इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, निदेशक, कोष एवं लेखा, निदेशक, निरीक्षण, निदेशक, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग, संबंधित मुख्य लेखाधिकारी, वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठ लेखाधिकारी आदि या सरकार के विभागाध्यक्ष, या स्थानीय प्राधिकारी अपने अधीनस्थों को ऐसे निदेश जारी करने में सक्षम होंगे जो उचित समझे जायें और अधीनस्थ ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे और जहां कोई भी अधीनस्थ कृत्यकारी ऐसे निदेशों के अननुपालन का दोषी हो वहां यह समझा जायेगा कि ऐसा कृत्यकारी अवचार का दोषी है और वह, उस पर लागू अनुशासनात्मक नियमों के अधीन कार्यवाही किये जाने का दायी होगा।

11. **दावों का उपशमन**.—किसी भी सिविल न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी समस्त दैनिक—मजदूरी—कर्मचारियों और आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की नियमित नियुक्तियों के दावे उपशमित हो जायेंगे और तदनुसार,—

(क) सेवाओं के नियमितिकरण के लिए, राज्य सरकार या धारा 2 के खण्ड (v) के उप—खण्ड (ख) से (ङ) तक के अधीन विनिर्दिष्ट लोक सेवाओं के किसी भी अन्य नियोजक के विरूद्ध दैनिक—मजदूरी पर या अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किसी भी सिविल न्यायालय, अधिकरण में या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी या चलायी नहीं जायेगी;

(ख) कोई भी सिविल न्यायालय ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं के नियमितिकरण का निदेश देने वाली किसी भी डिक्री या आदेश को प्रवर्तित नहीं करायेगा; और

(ग) सेवाओं के नियमितिकरण का दावा करने वाले समस्त वाद या अन्य कार्यवाहियां, जो किसी भी सिविल न्यायालय या अधिकरण में लंबित हों, उपशमित होंगी।

12. **पुनर्विलोकन समिति**.— (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् राज्य सरकार,—

(क) किसी भी लोक सेवा से संबंधित व्यक्तियों को नियोजित करने वाले किसी भी कार्यालय या स्थापन में विद्यमान स्टाफ पैटर्न का, ऐसे कार्यालय या स्थापन के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए; और

(ख) ऐसे कार्यालय का स्थापन के किसी भी लोक सेवा से संबंधित पद को लागू वेतनमानों, भत्तों, अनुग्रह संदायों, बोनस, पेंशन, उपदान और अन्य सेवान्त प्रसुविधाओं और परिलब्धियों का, प्रत्येक ऐसे पद की अर्हताओं और कार्य—अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए,

पुनर्विलोकन करने के लिए एक पुनर्विलोकन समिति का गठन कर सकेगी जिसमें अध्यक्ष के रूप में शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी और सदस्य उतने और उस रैंक के होंगे, जो वह उचित समझे ।

(2) उप—धारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन करने के पश्चात् पुनर्विलोकन समिति ऐसी कार्रवाई के लिए, जो इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जाये, अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

(3) पुनर्विलोकन समिति इस धारा के अधीन कृत्यों का निर्वहण करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी ।

(4) पुनर्विलोकन समिति के समस्त आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा अधिप्रमाणीकृत किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए शासन सचिव के अंतर्गत कोई प्रमुख शासन सचिव या विशिष्ट शासन सचिव है।

13. **पुनर्विलोकन समिति कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगी**.— (1) धारा 12 के अधीन गठित पुनर्विलोकन समिति को, इस अधिनियम के अधीन कर्तव्यों का निर्वहण करते समय वे समस्त शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय होती हैं, अर्थात्:—

(क) किसी भी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ—पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) पुनर्विलोकन समिति को अपने कर्तव्यों के निर्वहण के प्रयोजनार्थ धारा 12 की उप—धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी कार्यालय या स्थापन का निरीक्षण करने या निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा ।

14. **अपराध और दण्ड**.—(1) कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, अन्यथा उपबंधित शास्तियों के अतिरिक्त, ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास से कम नहीं होगी और जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) कोई भी न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा फाइल किये गये किसी परिवाद पर के सिवाय, इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

15. **शास्तियां**.– (1) जहां किसी निर्वाचन पद का कोई भी धारक या कोई भी अधिकारी या कृत्यकारी या अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई नियुक्ति करता है, वहां.–

(क) किसी निर्वाचक पद के धारक के मामले में यह समझा जायेगा कि उसने अपने पद या शक्ति का दुरूपयोग किया है और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी उसको हटाने के लिए कार्यवाहियां आरम्भ करेगा, और

(ख) किसी अधिकारी या कृत्यकारी या अन्य प्राधिकारी के मामले में यह समझा जायेगा कि वह अवचार का दोषी है और सक्षम प्राधिकारी उस पर लागू अनुशासनात्मक नियमों के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा ।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी लोक सेवा में की गयी समस्त नियुक्तियां अप्राधिकृत होंगी और ऐसी नियुक्तियों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार की या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण की या धारा 2 के खण्ड (v) के उपखण्ड (ग) से (ङ) तक के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट अन्य निकायों या यथास्थिति, संस्थाओं की निधियों में से किये गये कोई भी संदाय अप्राधिकृत समझे जायेंगे और वे ऐसे अधिकारी या कृत्यकारी या अन्य नियुक्ति प्राधिकारी से, जो ऐसी नियुक्तियां करे, ऐसी रीति से वसूलीय होंगे जो विहित की जाये, जहां वसूली विहित रीति से संभव नहीं हो वहां वह भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

16. **दुष्प्रेरकों के लिए शास्ति**.– जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है वह ऐसे अपराध के लिए इस अधिनियम में उपबंधित किये गये दंड से दण्डित किया जायेगा।

17. **कम्पनियों द्वारा अपराध.**–(1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाये तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के किये जाने के समय कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के संचालन के लिए उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जायेंगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगाः

परन्तु इस उप–धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी भी दंड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या यह कि उसने ऐसे अपराध के किये जाने को रोकने के लिए पूरी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां इस अधिनियम के उपबंधों के विरूद्ध कोई भी अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित किया जाये कि अपराध कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी भी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां कृत्यकारी तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए,–

(क) "कम्पनी" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम स. 1) में यथा–परिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई विश्वविद्यालय, कोई फर्म, कोई सोसाइटी या अन्य व्यष्टि–संगम है; और

(ख) "निदेशक" से,–

(i) तत्समय प्रवृत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय के संबंध में; या

(ii) तत्समय प्रवृत किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत, निर्मित, गठित या, यथास्थिति, स्थापित किसी सोसाइटी या अन्य व्यष्टि–संगम या निकायों के संबंध में, या

(iii) किसी भी अन्य संस्था के संबंध में,

ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे, चाहे किसी भी नाम से पदाभिहित किया जाये, तत्समय प्रवृत संबंधित विधि के अधीन या, यथास्थिति, अन्यथा नियुक्तियां करने के लिए सशक्त किया गया है या शक्तियां सौंपी गयी हैं ।

18. **सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण**.– किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी जो इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की जायें या की जाने के लिए आशयित हो।

19. **अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होना**.– इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत किसी भी विधि में या धारा 2 के खण्ड (v) के उप–खण्ड (ख) से (ङ) तक के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी कम्पनी/उपक्रम, अन्य निकाय या सोसाइटी द्वारा बनाये गये किसी भी नियम, विनियम, उपविधि, स्थायी आदेश या पारित किये गये संकल्प में, या किसी भी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी प्रभावी होंगे ।

20. **नियम बनाने की शक्ति**.–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों की कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, उस सत्र, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान–मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

एस. के. गर्ग
शासन सचिव